भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2878
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के उपाय

†2878. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नशीली दवाओं के तस्करों और उपयोगकर्ताओं से जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): मादक पदार्थों के सेवन संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने "नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)" तैयार करके इसे कार्यान्वित किया है, जिसके तहत सरकार मादक पदार्थों के सेवन की समस्या के समाधान के लिए एक निरंतर और समन्वित कार्रवाई कर रही है। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) 10000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है। इस अभियान ने 4.96 करोड़ युवाओं और 2.97 करोड़ महिलाओं सहित 14.79 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

(ii) मादक पदार्थों के पीड़ितों के लिए उपचार, निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्रेरणात्मक परामर्श, डिटॉक्सीफिकेशन/ नशामुक्ति, बाद में देखभाल तथा समाज की मुख्यधारा से पुन: जोड़ने के लिए सरकार ने 350 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए)' को सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2878, दिनांक 18.03.2025

(iii) सरकार संवेदनशील तथा नशे की चपेट में आ सकने वाले बच्चों और किशोरों को ध्यान में रखते हुए 46 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों' को सहायता प्रदान करती है।

(iv) सरकार द्वारा समर्थित 74 'आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्र (ओडीआईसी)' मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के लिए उपचार, पुनर्वास, स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, परामर्श, रेफरल तथा उपचार और पुनर्वास सेवाओं हेतु संपर्क के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।

(v) आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में 142 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) स्थापित की गई हैं।

(vi) अब तक, 124 'जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)' स्थापित किए जा चुके हैं, जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी तीनों सुविधाएं एक ही स्थान पर मुहैया कराते हैं।

(vii) नशामुक्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाई जा रही है।

(viii) सरकार अपने स्वायत्त निकाय 'राष्ट्रीय समाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)' और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे कि 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)', 'केंद्रीय विद्यालय संगठन' आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और जानकारी सत्र की व्यवस्था करती है।

(ix) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा छात्रों (6ठी-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को मादक पदार्थों पर निर्भरता से निपटने से संबंधित रणनीतियों एवं जीवन कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 के संबंध में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 के दौरान 'स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम' के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2878, दिनांक 18.03.2025

(ग): सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न प्रयास किए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है।

(iii) महत्वपूर्ण एवं बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iv) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को वर्ष 2020 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत नार्को-आतंकवाद मामलों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है।

(v) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2878, दिनांक 18.03.2025

(vii) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह (समुद्री सुरक्षा समूह- एनएससीएस) का गठन किया गया है।

(viii) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, का समाधान करने के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जाता है।

(ix) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में, भारत ने स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) और रासायनिक उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी के साथ-साथ संबंधित अपराधों से निपटने के लिए, 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों तथा 02 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(x) भारत अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) और इसके सभी कार्यक्रमों जैसेकि, पीईएन (निर्यात-पूर्व अधिसूचना), पीआईसीएस (उत्प्रेरकों की घटना संबंधी संचार प्रणाली) और आईओएनआईसीएस (मनोवैज्ञानिक पदार्थों की घटना संबंधी नई संचार प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन) के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है।

(xi) मादक पदार्थों की राष्ट्र-पारीय तस्करी से निपटने के लिए सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसेकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-ड्रग ओफेंसिज मॉनीटरिंग डेस्क (सार्क-एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलम्बो प्लान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), आसियान सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के साथ समन्वय भी करता है।

(xii) ऑपरेशनल और आसूचना संबंधी जानकारी के लिए एनसीबी, भारत अन्य देशों के विभिन्न मादक पदार्थ संपर्क (लाइजन) अधिकारियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी (डीईए), यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी, कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी), ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी), फ्रांस की ऑफिस एंटी-स्टुपेफिएंट (ओएफएएसटी) आदि के साथ रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान करता है।

****

वर्ष 2018 से 2020 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मादक पदार्थ-वार जब्ती

क्र.सं.	मादक पदार्थ का शीर्ष	2018			2019			2020		
		किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	संख्या	लीटर
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	201842.569	-	-	244309.825	-	-	246223.868	-	-
1.1	अफीम	8414.594	-	-	33167.525	-	-	7754.299	-	-
1.2	मॉर्फिन (किलोग्राम में)	251.600	-	-	371.986	-	-	438.810	-	-
1.3	हेरोइन (किलोग्राम में)	4691.690	-	-	4550.805	-	-	2626.407	-	-
1.4	पोस्ता भूसी	188484.685	-	-	206219.509	-	-	235404.352	-	-
2	कैनबिस आधारित मादक पदार्थ	1228089.216	-	-	443978.908	-	-	853554.414	-	-
2.1	गांजा (किलोग्राम में)	1224029.356	-	-	394724.125	-	-	849439.335	-	-
2.2	हशीश	26.303	-	-	38.790	-	-	269.959	-	-
2.3	चरस	4033.557	-	-	49215.993	-	-	3845.120	-	-
3	कोकीन (किलोग्राम में)	447.974	-	-	54.982	-	-	493.009	-	-
4	मनःप्रभावी पदार्थ	37686.285	-	-	45552.840	-	-	5357.801	-	-
4.1	मेथाक्वालोन (किलोग्राम में)	396.393	-	-	43017.914	-	-	276.222	-	-
4.2	इफेड्रिन/स्यूडो इफेड्रिन	2423.109	-	-	396.853	-	-	20.844	-	-
4.3	एल.एस.डी. (किलोग्राम में)	24199.642	-	-	1113.279	-	-	2543.390	-	-
4.4	एमफेटामाइन/मेथैम्फेटामाइन	10583.507	-	-	945.900	-	-	2470.898	-	-
4.5	केटामाइन	63.394	-	-	31.396	-	-	46.447	-	-
4.6	एटीएस	20.240	-	-	47.498	-	-	-	-	-
5	मेडिसनल प्रिपरेशंस	31231.579	11747942	110623.846	253274.563	20779435	944440.569	82111.512	56069140	139495.917
5.1	फेंसिडिल/कफ सिरप	0.000	-	109119.858	-	-	942332.657	-	-	120993.267
5.2	इंजेक्शन की शीशियाँ	0.000	136440	-	-	198636	-	-	192120	-
5.3	गोलियाँ/कैप्सूल	0.000	10977800	-	-	19611670	-	-	55252369	-
5.4	अन्य मेडिसनल प्रिपरेशंस	31231.579	633702	1503.988	253274.563	969129	2107.912	82111.512	624651	18502.650
6	मादक पदार्थ उत्प्रेरक - एसिटिक एनहाइड्राइड	6.199	0	0	61.918	0	0	17.612	0	0
7	अन्य मादक पदार्थ	2420143.860	421180	7174158.063	124413.037	69987	10791259.036	129009.023	3185911	964736.080
	कुल	**3919447.682**	**12169122**	**7284781.909**	**1111646.073**	**20849422**	**11735699.605**	**1316767.239**	**59255051**	**1104231.997**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

$ वर्ष 2018 के लिए संशोधित आंकड़े सिक्किम और मणिपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2018 हेतु इन राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

$ वर्ष 2019 के लिए संशोधित आंकड़े मणिपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2019 हेतु राज्य के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

$ वर्ष 2020 के लिए संशोधित आंकड़े सिक्किम और मणिपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2020 के हेतु इन राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 2878, दिनांक 18.03.2025

अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2021 और 2022 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मादक पदार्थ-वार जब्ती

क्र.सं.	मादक पदार्थ शीर्ष	2021			2022		
		किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	संख्या	लीटर
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	268671.105	-	-	337169.905	-	-
1.1	अफीम	17438.316	-	-	12460.342	-	-
1.2	मॉर्फिन (किलोग्राम में)	46.673	-	-	1209.109	-	-
1.3	हेरोइन (किलोग्राम में)	3578.479	-	-	4798.586	-	-
1.4	पोस्ता भूसी	247607.637	-	-	318701.868	-	-
2	कैनबिस आधारित मादक पदार्थ	796080.805	-	-	1716700.049	-	-
2.1	गांजा (किलोग्राम में)	777082.037	-	-	1711916.761	-	-
2.2	हशीश	108.881	-	-	487.291	-	-
2.3	चरस	18889.887	-	-	4295.997	-	-
3	कोकीन (किलोग्राम में)	2220.490	-	-	71.829	-	-
4	मनःप्रभावी पदार्थ	1457.439	-	-	3042.983	-	-
4.1	मेथाक्वालोन (किलोग्राम में)	9.166	-	-	427.622	-	-
4.2	इफेड्रिन/स्यूडो इफेड्रिन	0.240	-	-	176.385	-	-
4.3	एल.एस.डी. (किलोग्राम में)	1.970	-	-	6.006	-	-
4.4	एमफेटामाइन/मेथैम्फेटामाइन	1437.408	-	-	2420.824	-	-
4.5	केटामाइन	0.005	-	-	1.679	-	-
4.6	एटीएस	8.650	-	-	10.467	-	-
5	मेडिसनल प्रिपरेशंस	51299.887	44578576	682129.967	16249.711	17189558	4561206.774
5.1	फेंसिडिल/कफ सिरप	-	-	629251.301	-	-	4560604.061
5.2	इंजेक्शन की शीशियाँ	-	179630	-	-	203791	-
5.3	गोलियाँ/कैप्सूल	-	43415653	-	-	16529786	-
5.4	अन्य मेडिसनल प्रिपरेशंस	51299.887	983293	52878.666	16249.711	455981	602.713
6	मादक पदार्थ उत्प्रेरक - एसिटिक एनहाइड्राइड	0	0	0	0	0	0
7	अन्य मादक पदार्थ	17415.976	3834111	213496.370	7341.059	301413	79542.325
	कुल	**1137145.702**	**48412687**	**895626.337**	**2080575.536**	**17490971**	**4640749.099**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

$ वर्ष 2021 के लिए संशोधित आंकड़े मणिपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2021 हेतु राज्य के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।